हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969

धाराओं का क्रम

धाराएं:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना।
2. परिभाषाएं।
3. कुछ स्थापनों और व्यक्तियों को अधिनियम का लागू न होना।
4. कुछ स्थापनों को धारा 9 और धारा 10 की उप–धारा (1) के उपबन्धों का लागू न होना।
5. अधिनियम के उपबन्धों को विस्तारित करने की सरकार की शक्ति।
6. तरुण व्यक्तियों के लिए नियोजन की शर्तें।
7. नियोजन के घण्टे।
8. विश्राम या भोजन के लिए अन्तराल।
9. खुलने और बन्द होने का समय।
10. बन्द दिवस।
11. सप्ताह में कर्मचारियों का छुट्टी का दिन।
12. अवकाश दिवस।
13. स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण।
14. छुट्टी।
15. बन्द दिवसों और छुट्टी की अवधि के लिए मजदूरी।
16. मजदूरी की अवधि।
17. मजदूरी से कटौती।
18. प्रतिकर की वसूली।
19. प्रवर्तन और निरीक्षण।
20. अभिलेख।
21. रजिस्टरों का निरीक्षण और जानकारी के लिए मांगना।
22. हटाए जाने का नोटिस।
23. कर्मचारी द्वारा नोटिस।
24. स्थापना से अन्यत्र व्यापार करने के लिए उपबन्ध।
25. शास्तियां।
26. वैयक्तिक दायित्व से अधिकारियों और उनके एजेन्टों का संरक्षण।
27. छूट देने की शक्ति।
28. बालकों के नियोजन का प्रतिषेध।
29. महिलाओं के नियोजन की शर्तें।
30. प्रसूति प्रसुविधा।
31. कुछ कार्यवाहियों में विधि व्यवसायियों का वर्जन।
32. कुछ अधिकारों और विशेषाधिकारों की व्यावृत्ति।
33. अपराध का संज्ञान।
34. नियम बनाने की शक्ति।
35. निरसन और व्यावृत्तियां।

हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियन, 1969

(1970 का अधिनियम संख्यांक 10)[1]

(हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 जूलाई, 1992 को अधिप्रमाणित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में तारीख 02 दिसम्बर, 1992 को पृष्ठ संख्या 3487 से 3506 पर प्रकाशित किया गया।)

संशोधित, निरसित या अन्यथा द्वारा प्रभावितः—

(i) 2004[2] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 जिसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 06 अगस्त, 2004 को पृष्ठ संख्या 1471 से 1476 पर प्रकाशित किया गया।

(ii) 2012[3] का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 जिसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 08 मई, 2012 को पृष्ठ संख्या 959 से 962 पर प्रकाशित किया गया।

दुकानों और वाणिज्यिक स्थापनों में कार्य और नियोजन की शर्तों के विनियमन का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ और लागू होना** .—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापन अधिनियम, 1969 है।

(2) इसका विस्तार संम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

(4) यह प्रथमतः शिमला नगर निगम और नगर क्षेत्रों की सीमाओं और छावनी सीनाओं को लागू होगा; किन्तु सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निर्देश दे सकेगी कि यह किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में प्रवृत्त होगा या ऐसे अन्य क्षेत्रों में ऐसे स्थापनों या स्थापनों के वर्ग को लागू होगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

---

1. **पाद टिप्पणीः**— चूँकि अधिनियम राजभाषा में 28 जूलाई, 1992 को राज्यपाल महोदय द्वारा अधिप्रमाणित किया गया था इसलिए उद्देश्यों और कारणों का कथन उल्लिखित करना बांछनीय नहीं है इसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में 02 दिसम्बर, 1992 को पृष्ठ संख्या 3487 से 3406 पर प्रकाशित किया गया। अधिप्रमाणन के समय अंग्रेजी में उल्लिखित संशोधन सम्मिलित कर लिए गए थे।
2. 2004 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 जिसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 06 अगस्त, 2004 को पृष्ठ संख्या 1471 से 1476 पर प्रकाशित किया गया। हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में पास किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 01 जूलाई, 2004 पृष्ठ संख्या 1085 और 1089 देखें।
3. 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 जिसे राजपत्र हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में 08 मई, 2012 को पृष्ठ संख्या 959 से 962 पर प्रकाशित किया गया। हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी और अंग्रेजी में पास किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) तारीख 03 अप्रैल, 2012 पृष्ठ संख्या 23 से 26 देखें।

2. **परिभाषाएं**.—(1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः—

(i) "बंद" से अभिप्रेत है कि किसी ग्राहक की सेवा के लिए या कारबार से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन जो कुछ भी हो, के लिए खुला नहीं है;

(ii) "बन्द दिवस" से सप्ताह का वह दिन अभिप्रेत है जिसको दुकानें या वाणिज्यिक स्थापन बन्द रहते हैं।

(iii) "बन्द होने का समय" से वह समय अभिप्रेत है जब दुकान या वाणिज्यिक स्थापन बन्द होता है।

(iv) "वाणिज्यिक स्थापना" से कोई परिसर जिसमें कोई कारवार, व्यापार या व्यवसाय लाभ के लिए चलाया जाता है अभिप्रेत है और पत्रकारिता या मुद्रण स्थापन और परिसर जिस में बैंककारी, बीमा, स्टाक और अंश, दलाली या उपज विनिमय चलाया जाता है अथवा जिसे होटल, उपाहार गृह, बोर्डिंग या भोजनालय, नाट्य—गृह, सिनेमा या लोकमनोरंजन का अन्य स्थान या कोई अन्य स्थान जिसे सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए वाणिज्यिक स्थापन विनिर्दिष्ट करे, इसके अन्तर्गत है।

(v) "दिवस" से मध्यरात्रि से आरम्भ होने वाली चौबीस घंटे की कालावधि अभिप्रेत है :

परन्तु किसी कर्मचारी के मामले में जिसके कार्य के घण्टे मध्यरात्रि से परे विस्तारित हों, "दिवस" से उस समय से जब ऐसा नियोजन प्रारम्भ होता है शुरू होने वाली चौबीस घण्टे की कालावधि अभिप्रेत है ।

(vi) "कर्मचारी" से किसी स्थापन के कारबार के बारे में स्वामी या उस के अधिभोगी के लिए, चाहे प्रत्यक्षतः या अन्यथा, नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है भले ही वह अपने श्रम के लिए कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है और, इस अधिनियमद्वारा विनियमित होने वाले किसी विषय के प्रयोजन के लिए, उन्मोचित या पदच्युत किया हुआ व्यक्ति, जिसके दावे इस अधिनियम के अनुसार तय नहीं किए गए हैं और किसी कारखाने में नियोजित व्यक्ति, किन्तु जो कारखाना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 1948 का 63) द्वारा विनियमित नहीं है, इस के अन्तर्गत है;

(vii) "नियोजक" से स्थापन के कामकाज पर भार या स्वामित्व रखने वाला अथवा अन्तिम नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत नियोजक के परिवार के सदस्य, प्रबन्धक, अभिकर्ता या स्थापन के सामान्य प्रबन्ध या नियन्त्रण में कार्य करने वाले अन्य व्यक्ति हैं;

(viii) "स्थापन" से दुकान या वाणिज्यिक स्थापन अभिप्रेत है;

(ix) "कारखाना" का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम, 1948 का 63) में इसका है;

(x) नियोजक के सम्बन्ध में "परिवार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :——

  (i) पति या पत्नी;

  (ii) बच्चे और सौतेले बच्चे; और

  (iii) माता—पिता, बहने और भाई, यदि उसके साथ रहते हैं और पूर्णतः उस पर आश्रित हों;

(xi) "उत्सव" से कोई उत्सव अभिप्रेत है जिसे सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचना द्वारा उत्सव विनिर्दिष्ट करे;

(xii) x x x x x x x

(xiii) "कार्य के घण्टे" या "कार्य का समय" से वह समय अभिप्रेत है जिसके दौरान नियुक्त व्यक्ति, आराम और भोजन के लिए अनुज्ञात किसी अन्तराल को अपवर्जित करके नियोजक के व्ययन पर हैं;

(xiv) "निरीक्षक" से इस अधिनियम के अधीन नियुक्त निरीक्षक अभिप्रेत है;

(xv) "छुट्टी" से धारा 14 में यथा उपबन्धित छुट्टी अभिप्रेत है;

(xvi) ऐसी स्थापना के सम्बन्ध में जहां पांच या अधिक व्यक्ति नियोजित हों या ऐसी स्थापना जिसका स्वामी सामान्यतः वैयक्तिक रूप से कारबार नहीं चलाता है, "प्रबन्धक" से नियोजक द्वारा इस रूप में विहित रीति से घोषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(xvii) "रात्रि" से क्रमवर्ती बारह घण्टों की अवधि अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत 8 बजे अपराह्न से 6 बजे पूर्वाह्न का अन्तराल है;

(xviii) "अधिसूचना" से राजपत्र में उचित प्राधिकार के अधीन प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(xix) "राजपत्र" से हिमाचल प्रदेश राजपत्र अभिप्रेत है।

(xx) "खुला" से किसी ग्राहक की सेवा या स्थापन के कारबार के सम्बन्ध में खोला गया अभिप्रेत है;

(xxi) " खुलने का समय " से बह समय अभिप्रेत है जब स्थापन खुलती है।

(xxii) "विहित" से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(xxiii) "तिमाही" से प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन, अप्रैल के प्रथम दिन, जुलाई के प्रथम दिन या अक्तूबर के प्रथम दिन को प्रारम्भ होने वाली तीन मास की अवधि अभिप्रेत है;

(xxiv) " खुदरा व्यापार या कारबार" के अन्तर्गत नाई या केश प्रसाधक का कारबार जल पान या मादक मद्य का विक्रय और नीलामी द्वारा खुदरा विक्रय है;

(XXV) "स्थापनों का रजिस्टर" से इस अधिनियम के अधीन स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए रखा गया रजिस्टर अभिप्रेत है ;

(xxvi) "रजिस्ट्रीकरण" प्रमाणपत्र से किसी स्थापन के रजिस्ट्रीकरण को दर्शाने वाला प्रमाण–पत्र अभिप्रेत है;

(xxvii) "दुकान" से कोई ऐसा परिसर अभिप्रेत है जहां कोई व्यापार या कारवार किया जाता है या जहां ग्राहकों को सेवाएं दी जाती हैं और इसके अन्तर्गत जहां ऐसे व्यापार या कारवार के सम्बन्ध में प्रयोग किए गए कार्यालय, भण्डार–कक्ष, गोदाम, विक्रय डिपो या भाण्डागार है, चाहे वे उसी परिसर में हों या अन्यथा, किन्तु कारखाने से संलग्न वाणिज्यिक स्थापन या दुकान जहां दुकान में नियोजित व्यक्तियों को कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम, 63) के अधीन कर्मकारों के लिए उपबन्धित प्रसुविधाएं अनुज्ञात की गई हैं, इसके अन्तर्गत नहीं है;

(xxviii) "विस्तृति" से कर्मचारी के दिन के कार्य प्रारम्भ करने और समाप्ति के बीच की अवधि अभिप्रेत है;

(xxix) "मजदूरी" का वहीं अर्थ है जो मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम 4) में इसका है;

(xxx) "मजदूरी कालावधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके पश्चात् किसी नियोजित व्यक्ति को मजदूरी संदत्त की जाएगी;

(xxxi) "सप्ताह" से शनिवार की मध्य रात्रि और आगामी शनिवार की मध्यरात्रि के बीच की अवधि अभिप्रेत है;

(xxxii) "तरुण व्यक्ति" से बह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो किन्तु अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो;

[1]{(xxxiii) "वर्ष" से ब्रिटिश कलैण्डर के अनुसार संगणित वर्ष अभिप्रेत है।}

(2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थापन के नियोजन की सेवा में कोई नियोजन, चाहे स्थापन के भीतर या इसके बाहर, जो, स्थापन में किए जाने वाले कारबार से सम्बन्ध रखता है या सम्बन्धित है अथवा उससे आनुषंगिक है, स्थापन के कारबार के बारे में नियोजन समझा जाएगा।

3. **कुछ स्थापनों और व्यक्तियों को अधिनियम का लागू न होना.**– इस अधिनियम की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगी–

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार (वाणिज्यिक उपक्रमों के सिवाए), भारतीय रिजर्व बैंक, किसी रेल प्रशासन या किसी स्थानीय प्राधिकरण के या उसके अधीन कार्यालय;

(ख) कोई रेल सेवा, वायु सेवा, जल परिवहन सेवा, ट्राम् पथ, डाक तार या दूरभाष सेवा, लोक सफाई या स्वच्छता की कोई पद्धति या कोई उद्योग, कारबार या उपक्रम जो जनता को बिजली, प्रकाश या जल का प्रदाय करता हो;

(ग) रेल भोजन यान;

(घ) अधिवक्ताओं के कार्यालय;

(ङ) खण्ड (क) से (छ) में वर्णित किसी स्थापन के कारबार के बारे में नियोजित कोई व्यक्ति;

(च) कोई व्यक्ति जिसके नियोजन के घण्टे, कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम, 63) द्वारा या उसके अधीन विनियमित किए जाते हैं, सिवाए इस अधिनियम की धारा 7 की उप–धारा (3), (4) और (5) के उपबन्धों के, जहां तक वे कारखाने में नियोजन से सम्बन्ध रखते हों;

(छ) कोई व्यक्ति जिसका कार्य अन्तर्निहिततः आन्तरायिक है;

(ज) स्टाम्प विक्रेताओं और अर्जी लेखकों के स्थापन।

4. **कुछ स्थापनों को धारा 9 और धारा 10 की उप–धारा (1) के उपबन्धों का लागू न होना.**– धारा 9 और धारा 10 की उप–धारा (1) की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगीः–

(क) क्लब, होटल, रेस्तरां, छात्रावास गृह, रेलवे स्टेशनों पर स्टाल और जलपान कक्ष;

(ख) नाईयों और केश प्रसाधकों की दुकानें;

———————

1. 2004 का अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

(ग) मांस, मछली, मिष्ठान, कुक्कुट, अण्डों, दुग्ध उत्पादन (घी के सिवाए) रोटी, मिठाईयों, चाकलटों, बर्फ, मलाई की बर्फ, पका हुआ भोजन, ताजे फल, फूलों या सब्जियों का अनन्य रूप से व्यापार करने वाले स्थापन;

(घ) औषधियों या चिकित्सा अथवा शल्य सामग्री या साधनों का अनन्य रूप से व्यापार करने वाली दुकानें और रोगी, शिथिलांग, निराश्रित या मानसिक रूप से अस्वस्थों का उपचार या देखभाल करने के लिए स्थापन;

(ङ) अन्त्येष्टियों, दफन या शबदाहों के लिए अपेक्षित वस्तुओं का व्यापार करने वाली दुकानें;

(च) पानों (पान के पत्ते) बीड़ियों या सिगरेटों अथवा परिसरों में उपभोग के लिए फुटकर में द्रव जलपान बेचने का अनन्य रूप से व्यापार करने बाली दुकानें;

(छ) अनन्य रूप से समाचार पत्रों या नियत कालिक पत्रिकाओं का व्यापार कारने बाली दुकानें, समाचार पत्रों के कार्यालयों के सम्पादन और प्रेषित करने वाले अनुभागों और समाचार एजेंसियों के कार्यालय;

(ज) चलचित्र गृहों के सिवाय लोक मनोरंजन के स्थान;

(झ) परिवहन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पैट्रोल और पैट्रोलियम उत्पादों के फुटकर विक्रय के लिए स्थापन;

(ञ) रेजिमेंट संस्थाओं की बुकानें, गैरिजन दुकानें और छाबनियों में फौजी कैन्टीनें;

(ट) धर्म–शोधन शालाएं;

(ठ) प्रदर्शनी या प्रदर्शन पर फुटकर व्यापार में लगे स्थापन, यदि ऐसा फुटकर व्यापार केवल प्रदर्शनी या प्रदर्शन के मुख्य प्रयोजन का समनुषंगी या अनुषंगी है;

(ड) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के अधीन रजिस्ट्रीकृत न की गई तेल चक्कियां।

(ढ) ईंट और चूने के भट्टे।

(ण) कांसे और पीतल के बर्तनों के विनिर्माण में लगे हुए वाणिज्यिक स्थापन जब तक ये भट्टी में गलाने की प्रक्रिया तक सीमित हों।

(त) शोरा परिष्करण शाला;

(थ) आशुलिपि या टंकण के वाणिज्यिक महाविद्यालय और अन्य शैक्षिक उच्च विद्यालयों का स्थापन;

(द) यात्रियों और माल परिवहन कम्पनियों के बुकिंग कार्यालय;

(ध) हरा या सूखा चारा और भूसा काटने का अनन्य रूप से व्यापार करने वाले स्थापन; और

(न) साइकिल खड़ी करने के स्थान और साइकिल मुरम्मत करने की दुकानें।

(2) धारा 10 की उप–धारा (1) की कोई भी बात निम्नलिखित को लागू नहीं होगीः–

(i) चलचित्र गृहों के स्थापन;

(ii) खालों और चमड़े का व्यापार करने वाले स्थापन;

(iii) वर्फ के कारखाने;

(iv) साइकिल या मोटरयानों की मुरम्मत अथवा मोटरयान परिवहन सेवा में अनन्य रूप से लगे स्थापन (जो साइकिल या मोटर यानों या अनन्य रूप से उनके अतिरिक्त पुर्जों के व्यापार में लगे स्थापन नहीं है);

(v) तम्बू, छोलदारी और समारोह प्रयोजनों के लिए अपेक्षित अन्य वस्तुएं जैसे चीनी के बर्तन, फर्नीचर, लाउडस्पीकर, गैस लाईटों और पंखों को किराए पर व्यवस्था करने का अनन्य रूप से व्यापार करने वाले स्थापन; और

(vi) फुल्लियां, मुरमुरे, चीनी लगे चने, रेवड़ियां या अन्य समरूप वाणिज्यों के फुटकर विक्रय में अनन्य रूप से व्यापार करने वाले स्थापन।

5. **अधिनियम के उपबन्धों का विस्तार करने की सरकार की शक्ति.–(**1) धारा 3 या धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना आवश्यक समझे, तो अधिसूचना द्वारा, घोषित कर सकेगी कि उसमें विनिर्दिष्ट स्थापनों या व्यक्तियों के किसी वर्ग को इस अधिनियम के ऐसे उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट नहीं होगी जैसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट इस अधिनियम के उपबन्ध, यथास्थिति, स्थापनों या व्यक्तियों के ऐसे वर्ग को लागू होंगे।

(2) उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के पश्चात, यथासंभव शीघ्र विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

6. **तरुण व्यक्तियों के लिए नियोजन की शर्तें.**– (1) किसी स्थापन के कारबार के बारे में नियोजित तरुण व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य घण्टों की कुल संख्या, भोजन और आराम के अन्तरालों को छोड़ कर, किसी एक सप्ताह में तीस घंटों से या किसी एक दिन में पांच घंटों से अधिक नहीं होगी।

(2) स्थापन के कारबार के बारे में नियोजित तरुण व्यक्ति भोजन या आराम के लिए कम से कम आधे घण्टे के अन्तराल के बिना, लगातार तीन घंटों से अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

(3) सरकार, स्थापन के कारबार के बारे में नियोजित तरुण व्यक्तियों या उनके किसी वर्ग के नियोजन के बारे में और शर्तें और जिनके अन्तर्गत, यदि वह ठीक समझे, उन व्यक्तियों के नियोजन की दैनिक अवधि की बाबत शर्तें विहित कर सकेगी, और ऐसा कोई व्यक्ति उन शर्तों के अनुसार से भिन्न पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

(4) इस धारा के उपबन्धों के किसी उल्लंघन, या उन का अनुपालन करनें में असफल रहने की दशा में, नियोजक दोषसिद्धि पर, जुर्मानें का, जो [1]{चार हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो छः हजार रुपये} तक का हो सकेगा, दायी होगा।

(5) जहां इस धारा के अधीन किसी अपराध के लिए कार्यवाहियों में, वह व्यक्ति जिस द्वारा अपराध किया गया था एक तरुण व्यक्ति था, और वह अपराध करने वाली तारीख को, न्यायालय को, तरूण व्यक्ति प्रतीत होता है, तो इस अधिनियम का प्रयोजनों के लिए जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं होता है, यह उप–धारणा की जाएगी कि वह उसे तारीख को तरुण व्यक्ति था।

---

1. 2004 का अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा शब्द "पचास रूपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रूपये" और शब्द "दो सौ रूपये" के स्थान पर "दो हजार रूपये" प्रतिस्थापित किए गए और 2012 का अधिनियम संख्यांक 27 द्वारा शब्द "पांच सौ रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो दो हजार रूपये तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "चार हजार रूपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो "छह हजार रूपये तक हो सकेगा" प्रतिस्थापित किए गए।

7. **नियोजन के घण्टे**.– (1) इस प्रधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भी व्यक्ति को स्थापन के कारबार के बारे में किसी सप्ताह में अड़तालीस घंटों से अधिक के लिए और किसी एक दिन में भी नौ घण्टों से, अधिक के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा।

(2) मौसमी या असाधारण काम के दबाब के अवसर पर किसी स्थापन में नियोजित कोई व्यक्ति उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट काम के घंटों से अधिक के लिए स्थापन के कारबार के बारे में नियोजित किया जा सकेगा :

परन्तु––

(क) किसी एक तिमाही की अवधि में कर्मचारी द्वारा कार्य किए गए अतिकालिक घंटों की कुल संख्या पचास से अधिक न हो; और

(ख) अतिकालिक नियोजित किए गए व्यक्तियों को घंटे के हिसाब से संगणित उसकी सामान्य मजदूरी की दर से दुगना पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.– इस उप–धारा के परन्तुक के खण्ड (ख) और धारा 10 और धारा 12 के प्रयोजनों के लिए, "सामान्य मजदूरी" से मूल मजदूरी, जमा ऐसे भते जिनके अन्तर्गत कर्मचारियों को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के रियायती विक्रय के माध्यम से प्रोद्‌भूत होने वाले लाभों के समतुल्य नकद जिसके लिए कोई कर्मचारी तत्समय हकदार है, अभिप्रेत है, किन्तु बोनस इसके अम्तर्गत नहीं है।

(3) कोई भी नियोजक, किसी भी दिन या किसी भी सप्ताह में, किसी व्यक्ति को, स्थापन के कारबार के बारे में, जिसे उस दिन या उस सप्ताह में पहले अन्य स्थापन या कारखाने में दीर्घतर अवधि के लिए जो उस समय सहित जिसके दौरान उसे पहले ऐसे अन्य स्थापन या कारखाने में, उस दिन या उस सप्ताह में, नियोजित किया गया है, इस अधिनियम द्वारा अनुज्ञात घंटों की संख्या से अधिक है, नियोजित नहीं करेगा।

(4) उप–धारा (3) के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए स्थापन के नियोजक के विरुद्ध किन्हीं कार्यवाहियों में, यह साबित करना प्रतिरक्षा होगी कि नियोजक नहीं जानता था और युक्तियक्त तत्परता से अभिनिश्चित नहीं कर सका कि व्यक्ति पहले अन्य स्थापन या कारखाने के नियोजक द्वारा नियोजित किया गया था।

(5) कोई भी व्यक्ति एक स्थापन या दो से अधिक स्थापनों या किसी एक स्थापन या कारखाने के कारबार के बारे में उस कालावधि से अधिक के लिए कार्य नहीं करेगा जिसके दौरान उसे इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक नियोजित किया जा सके।

8. **विश्राम या भोजन के लिए अन्तारल**.–(1) घारा 6 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, चौकीदार, पहरेदार या रक्षक के सिवाय किसी कर्मचारी को जब तक उसे विश्राम करने के लिए कम से कम आधे घंटे का अन्तराल न मिला हो किसी स्थापन में पांच घंटों से अधिक के लिए कार्य करने नहीं दिया जाएगाः

परन्तु सरकार, अधिसूचना द्वारा, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश या उसके किसी भाग के लिए, स्थापनों के किसी वर्ग के बारे में आराम के लिए अन्तराल नियत कर सकेगी, जैसा वह आवश्यक समझे।

(2) किसी स्थापन में कर्मचारी के कार्य की अवधि इस प्रकार नियत की जाएगी कि उसके आराम के लिए अन्तराल सहित इसका एक दिन में विस्तार दस घण्टों से अधिक न हो।

9. **खुलने और बन्द होने का समय.**– सरकार, अधिसूचना द्वारा स्थापन के सभी वर्गों के खुलने और बन्द होने का समय नियत करेगी और विभिन्न वर्गों के स्थापनों के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के लिए खुलने और बन्द होने का विभिन्न समय नियत किया जा सकेगा:

परन्तु सरकार, कारखाने में संलग्न स्थापन के खुलने और बन्द होने के ऐसे समय का अनुपालन करना अनुज्ञात कर सकेंगी जैसा सरकार निर्दिष्ट करे।

10. बन्द दिवस.–(1) इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय प्रत्येक स्थापन सप्ताह में ऐसे दिवस बन्द रहेगी जैसा विहित किया जाए:

परन्तु, कारखाने से संलग्न स्थापन के मामले में, नियोजक, ऐसे स्थापन के बन्द दिवस को ऐसे प्रतिस्थापित कर सकेगा, ताकि यह उसी रीति में और उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए करीखाने के प्रतिस्थापित बन्द दिवस के अनुरूप हो जैसी कि इस निमित्त कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) में अधिकथित हैं।

(2) (i) स्थापन का नियोजक, स्थापन के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर विहित प्ररूप में नियोजित व्यक्ति के कार्य के घण्टे, घारा–11 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट, सप्ताह का दिन और अन्तराल की अवधि, विहित प्राधिकारी को सूचित करेगा।

(ii) स्थापन का नियोजक तिमाही में एक बार परिवर्तन के होने से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व विहित प्राधिकारी को विहित प्ररूप में, सूचना देकर, कार्य के घण्टे और अन्तराल की अवधि में परिवर्तन कर सकेगा।

(3) उप–धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी स्थापन का नियोजक बन्द दिवस को भी अपना स्थापन खोल सकेगा, यदि–

(क) ऐसा दिवस त्यौहार के साथ पड़ता है, और

(ख) उस दिन कार्य करने के लिए अपेक्षित कर्मचारियों के घण्टे के हिसाब से संगणित उनकी सामान्य मजदूरी की दर का दोगुणा पारिश्रामिक संदत्त किया जाता है।

11. **सप्ताह में कर्मचारियों की छुट्टी का दिन.**– किसी भी कर्मचारी को निम्नलिखित कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी या उससे अपेक्षा नहीं की जाएगी–

(क) किसी बन्द दिवस को किसी ऐसे स्थापन में, जिस द्वारा बन्द दिवस रखा जाना अपेक्षित है;

(ख) किसी अन्य स्थापन में सप्ताह में एक दिन; और

(ग) स्थापन के खुलने के समय से पूर्व और स्थापन के बन्द होने के समय के पश्चात्:

परन्तु इस धारा के अधीन चौकीदार को छुट्टी के दिन काम करने दिया जा सकेगा या उससे अपेक्षा की जा सकेगी, यदि सप्ताह में उसे अन्य दिन छुट्टी दी जाती है।

12. **अवकाश दिवस.**— स्थापन में प्रत्येक कर्मचारी को निम्नलिखित दिए जाएंगे—

(क) स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस और महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर मजदूरी सहित अवकाशः और

(ख) वर्ष में ऐसे त्यौहारों के सम्बन्ध में मजदूरी सहित तीन छुट्टियों जैसे सरकार अधिसूचना द्वारा, समय—समय पर घोषित करेः

परन्तु ऐसा कर्मचारी जिस द्वारा किसी अवकाश दिन पर कार्य करना अपेक्षित है, घण्टे के हिसाब से गणित उनकी सामान्य मजदूरी की दुगनी दर पर, पारिश्रमिक का हकदार होगा।

13. **स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण.**—(1) प्रत्येक स्थापन का नियोजक, उप—धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, विहित प्राधिकारी को विहित प्ररूप में, ऐसी फीस सहित जो विहित की जाए, एक विवरणी भेजेगा जिनमें निम्नलिखित अन्तर्विष्ट होगाः—

(क) नियोजक और प्रवन्धक का नाम, यदि कोई हो;

(ख) स्थापन का डाक पता;

(ग) स्थापन का नाम, यदि कोई हो;

(घ) स्थापन में नियोजित व्यक्तियों की संख्या; और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं;

(2) (i) विवरणी और विहित फीस की प्राप्ति पर विहित प्राधिकारी, विवरणी की शुद्धता के बारे समाधान होने पर, स्थापन को स्थापनों के रजिस्टर में ऐसी रीति में, जैसे विहित की जाए, रजिस्टर करेगा और नियोजक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र जारी करेगा। नियोजक द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र निरीक्षक द्वारा मांगने पर, उसे दिखाया जाएगा।

(ii) [1]{रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र को, विहित फीस के संदाय पर पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा।}

———————————

1. 2004 का अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा खण्ड (ii) प्रतिस्थापित किया गया।

(3) उसके स्तम्भ 1 में वर्णित स्थापन के बारे में, निम्न सारणी के स्तम्भ 2 में वर्णित तारीख से तीस दिन के भीतर, विहित फीस सहित विवरणी उप–धारा (1) के अधीन विहित प्राधिकारी को भेजी जाएगीः–

सारणी

स्थापन 1	वह तारीख जिससे 30 दिन की अवधि प्रारम्भ होगी 2
(i) ऐसे क्षेत्रों में विद्यमान स्थापन जिनको यह अधिनियम लागू है या जिनको वह तत्पश्चात् लागू किया गया है।	यथास्थिति, वह तारीख जिस को यह अधिनियम प्रवृत्त होता है या वह तारीख जिसको यह अधिनियम तत्पश्चात् लागू किया गया है।
(ii) ऐसे क्षेत्रों में नए स्थापन।	तारीख जिस को स्थापन अपना कार्य प्रारम्भ करती है।

(4) इस धारा के अधीन उसकी विवरणों में अन्तर्विष्ट किसी सूचना में किसी परिवर्तन के बारे में, परिवर्तन होने के पश्चात् सात दिन के भीतर, विहित प्ररूप में विहित प्राधिकारी को सूचित करना नियोजक का कर्त्तव्य होगा और ऐसी सूचना प्राप्ति पर और इसकी शुद्धता के बारे में समाधान होने पर विहित प्राधिकारी, ऐसी सूचना के अनुसार रजिस्टर में परिवर्तन करेगा और यदि आवश्यक हो, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को संशोधित करेगा।

(5) नियोजक, अपने स्थापन को बन्द करने के दस दिन के भीतर, विहित प्राधिकारी को तद्नुसार लिखित रूप में सूचित करेगा और विहित प्राधिकारी सूचना प्राप्त होने पर और उसकी शुद्धता के बारे में समाधान हो जाने पर, स्थापनों के रजिस्टर से ऐसे स्थापन का नाम हटा देगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र को रद्द करेगा।

14. **छुटटी.**–(1) (क) प्रत्येक कर्मचारी जो किसी वर्ष में कम से कम बीस दिन के लिए नियोजन में रहा हो, ऐसे प्रत्येक बीस दिन के लिए एक दिन के अर्जित अवकाश का हकदार होगाः

परन्तु तरुण व्यक्ति नियोजन के प्रत्येक पन्द्रह दिन के लिए एक दिन के अतिरिक्त अवकाश का हकदार होगा।

(ख) यदि किसी कर्मचारी को सेवा से सेवोन्मुक्त या पदच्युत किया जाता है अथवा नौकरी छोड़ देता है, तो वह खण्ड (क) में अधिकाथित दरों पर अनुपयुक्त छुट्टी के स्थान पर मजदूरी का हकदार होगा।

(ग) इस धारा के अधीन छुट्टी की संगणना करते समय, आधे दिन या अधिक के भाग को एक दिन की छुट्टी माना आएगा और आधे दिन से काम के भाग को छोड़ दिया जाएगा।

(घ) यदि कोई कर्मचारी किसी एक वर्ष में खण्ड (क) के अधीन उसको अनुज्ञात सारी छुट्टी नहीं लेता है, तो उस द्वारा न ली गई कोई छुट्टी अग्रनीत की जाएगी और उत्तरवर्ती वर्ष में उसको दी जाने वाली छुट्टी में जोड़ी जाएगी :

परन्तु—

(i) नियोजक और कर्मचारी के बीच किसी विनिर्दिष्ट करार के अधीन रहते हुए, छुट्टी के दिनों की कुल संख्या, जो उत्तरवर्ती वर्ष को अग्रनीत की जा सकेगी, तरुण व्यक्ति के मामले में चालीस या किसी अन्य मामले में तीस से अधिक नहीं होगी;

(ii) इस धारा के उपबन्ध, किसी कर्मचारी के किन्हीं अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेंगे जिनके लिए वह किसी अन्य विधि के अधीन या सेवा के किसी अधिनिर्णय, करार या संविदा के निबन्धनों के अधीन हकदार हो;

(iii) जहां सेवा का ऐसा अधिनिर्णय, करार या संविदा इस धारा के अधीन उपबन्धित की अपेक्षा मजदूरी सहित दीर्घतर छुट्टी या साप्ताहिक अवकाश के लिए उपबन्ध करता है तो कर्मचारी, यथास्थिति, ऐसी दीर्घतर छुट्टी या साप्ताहिक अवकाश का हकदार होगा।

(2) उप—धारा (1) के खण्ड (क) में उपबन्धित छुट्टी के लिए, जब आबेदन किया जाए तो इसे नियोजक द्वारा कर्मचारी को आवेदन के पन्द्रह दिनों के अन्दर लिखित रूप में विधिमान्य कारण संसूचित किए बिना, नामंजूर नहीं किया जाएगाः

परन्तु इस प्रकार नामन्जूर की गई छुट्टी, यदि उसके लिए पुनः आवेदन किया जाए, आवेदन की तारीख से तीस दिन के भीतर मंजूर की जाएगा।

(3) (क) उस अबधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए जिसके दौरान कर्मचारी उप—धारा (1) के खण्ड (क) के अर्थान्तर्गत नियोजन में रहा है, यह अवधि जिसके दौरान वह इस धारा के अधीन छुट्टी पर रहा और धारा—11 में निर्दिष्ट अवकाश दिवस शामिल किए जाएंगे।

(ख) सेवोन्मुक्त, हटाने या पदच्युति से पहले दिए जाने के लिए अपेक्षित किसी नोटिस की कालावधि संगणित करने में कर्मचारी को अनुपयुक्त छुट्टी को विचार में नहीं लिया जाएगा।

(4) पूर्ववर्ती उप—धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, स्थापन के प्रत्येक कर्मचारी को एक वर्ष में मजदूरी संहित सात दिन का आकस्मिक अवकाश और सात दिन का बीमारी अवकाश दिया जाएगा।

15. **बन्द दिवसों और छुट्टी की अवधि के लिए मजदूरी**.— (1) किसी स्थापन में पन्द्रह दिन या उससे अधिक अवधि के लिए नियोजित कोई व्यक्ति, धारा 11 में निर्दिष्ट सप्ताह के प्रत्येक अवकाश के दिन के लिए ऐसे प्रत्येक अवकाश के दिन से ठीक पूर्ववर्ती सप्ताह के दिनों के दौरान जिनको उसने कार्य किया हो, उस द्वारा अर्जित औसत दैनिक मजदूरी की दर से मजदूरी प्राप्त करेगा।

(2) धारा 14 के अधीन उसे अनुज्ञात छुट्टी के लिए, कर्मचारी की संदाय, उसकी छुट्टी से ठीक पहले के मास के दौरान उन दिनों के लिए जिनको उसने कार्य किया हो उसके कुल पूर्णकालिक उपार्जनों की दैनिक औसत के बराबर की दर पर किया जाएगा जिसमें कोई अतिकालिक और बोनस सम्मिलित नहीं होगा किन्तु उसमें मंहगाई भत्ता और कर्मचारी को खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के, रियायती विक्रय के माध्यम से प्रोद्भूत फायदे का नकद समतुल्य सम्मिलित होगा।

(3) किसी कर्मचारी को, जिसकी अनुज्ञात की गई छुट्टी, तरुण व्यक्ति की दशा में पांच दिन से और अन्य किसी दशा में चार दिन से कम न हो, उसकी छुट्टी प्रारम्भ होने से पूर्व, मांग करने पर, अनुज्ञात छुट्टी की कालावधि के लिए देय मजदूरी संदत्त की जाएगी।

16. **मजदूरी की अवधि.**— (1) किसी कर्मचारी को मजदूरी का संदाय करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति, ऐसी कालावधि नियत करेगा जिसके बारे में ऐसी मजदूरी नंदेय होगी।

(2) मजदूरी की कालावधि एक मास से अधिक नहीं होगी।

(3) प्रत्येक नियोजित व्यक्ति की मजदूरी, उस तारीख से सात दिन के अवसान से पूर्व दी जाएगी, मजदूरी जिसको देने को देय बनती हो।

(4) जहाँ किसी व्यक्ति का नियोजन, नियोजक द्वारा या उसकी ओर से समाप्त किया जाता है, वहां, उस द्वारा अर्जित मजदूरी और देय छुट्टी की अनुपयुक्त अवधि के स्थान पर पारिश्रमिक, ऐसी समाप्ति के पश्चात् के दूसरे कार्य दिवस के अवसान से पूर्व ओर जहां कर्मचारी अपना नियोजन छोड़ता है, वहां अगले वेतन दिवस पर या उसने पूर्व संदत्त किया जाएगाः

परन्तु विशेष परिस्थितियों में मुख्य निरीक्षक, दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापन, हिमाचल प्रदेश के विवेकाधिकार के सिवाए, इस धारा के अधीन कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा यदि यह प्रोद्भूत होने के छः मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

17. **मजदूरी में कटौती.**— किसी कर्मचारी को उसकी मजदूरी किसी प्रकार की कटौतियां किए बिना, सिवाए उनके जो मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम 4) द्वारा उस के अधीन प्राधिकृत हो, जहां तक ऐसी कटौतियाँ कर्मचारी को लागू होती है और ऐसी रीति में, ऐसे विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो कि इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट है, संदत्त की जाएंगी।

18. **प्रतिकर की बसूली.**— (1) धारा 16 के उपबन्धों के उल्लंघन की दशा में, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि कर्मचारी को उसको देय मजबूरी संदत्त नहीं की गई है, तो वह नियोजक को, रोकी गई मजदूरी की रकम के आठ गुना से अनधिक, प्रतिकार सहित मजदूरी संदत्त करने का निर्देश देगा।

(2) रोकी गई मजदूरी की रकम और इस धारा के अधीन संदेय प्रतिकर, इसकी वसूली के प्रयोजनों के लिए धारा 25 के अधीन अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित जुर्माना समझा जाएगा और ऐसे ही वसूल किया जाएगा।

19. **प्रवर्तन और निरीक्षण**.—(1) सरकार, अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जिनको वह उचित समझे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी स्थानीय सीमाओं के भीतर जो यह उनके लिए नियत करे, निरीक्षक नियुक्त कर सकेगी।

[1]{(2) सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक, अतिरिक्त मुख्य निरीक्षक, उप–मुख्य निरीक्षक या सहायक मुख्य निरीक्षक दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापन, नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त, उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर, निरीक्षक की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।}

(3) सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए निरीक्षक, स्थानीय सीमाओं के भीतर जिनके लिए वह नियुक्त किया गया है, में निम्नलिखित कर सकेगा,—

(क) सभी युक्तियुक्त समयों पर और ऐसे सहायकों को साथ, यदि कोई हो, जो सरकारी या किसी स्थानीय प्राधिकरण की सेवा में कार्यरत व्यक्ति हों, जैसा वह उचित समझे, किसी स्थान में जो स्वापन है या जिसकी उसे स्थापना होने का विश्वास करने का कारण है, में प्रवेश कर सकेगा;

(ख) परिसरों का और किन्हीं विहित रजिस्टरों, अभिलेखों और नोटिसों का ऐसा परीक्षण कर सकेगा और मौका पर ही या अनाथा किन्हीं व्यक्तियों का साक्ष्य ले सकेगा, जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक समझे; और

(ग) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जो इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हों:

परन्तु इस धारा के अधीन किसी भी व्यक्ति को, उसको अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखने वाले किसी प्रश्न का उत्तर या कोई साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जाएगा।

(4) इस धारा के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षक, भारतीय दण्ड संहिता (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं0 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

20. **अभिलेख**.— (1) प्रत्येक स्थापन का नियोजक, विहित प्ररूप और रीति में, स्थापन में बन्द दिवस, कार्य के घण्टे और नियोजित व्यक्तियों के अन्तराल की अवधि, यदि कोई हो, और ऐसी अन्य विशिष्टियों जैसी विहित को जाएं, उप–वर्णित करते हुए, स्थापन में एक नोटिस प्रदर्शित रखेगा।

(2) किसी स्थापन का नियोजक, जिसके कारबार के बारे में व्यक्ति नियुक्त किए गए है, विहित प्ररूप और रीति में, कार्य के घण्टों, विश्राम के अन्तरालों और स्थापन के कारबार के बारे में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ली गई छुट्टी के हिसाब का अभिलेख रखेगा और सभी अतिकालिक नियोजन की विशिष्टियां अभिलेख में अलग से दर्ज की जाएंगी।

———————————

1. 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 द्वारा उप–धारा (2) प्रतिस्थापित की गई।

(3) प्रत्येक स्थापन का नियोजक, जिसके कारबार के बारे में व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। डयूटी शुरू होने के एक घण्टे के भीतर उस प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में, प्रत्येक कर्मचारी की उपस्थिति चिन्हांकित करेगा और अतिकाल के मामले में, अतिकाल के प्रारम्भ होने या बन्द होने के बारे में प्रत्येक प्रविष्टि क्रमशः ऐसे प्रारम्भ या बन्द होने से पूर्व या पश्चात् की जाएगी।

(4) प्रत्येक स्थापन का नियोजक, प्रत्येक कर्मचारी की जिसने स्थापना में तीन मास की लगातार सेवा पूरी कर ली हो, एक फोटो रखेगाः

परन्तु जहां ऐसा कर्मचारी ऐसी सेवा पूरी होने के पन्द्रह दिन के भीतर नियोजक को फोटो देने में असफल रहता है, वहां ऐसा करने में उसकी असफलता को नियोजक द्वारा कर्मचारी के हस्ताक्षर के अधीन अभिलिखित किया जाएगा।

(5) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक स्थापन का नियोजक ऐसे अन्य अभिलेख, रजिस्टर रखेगा और ऐसे अन्य नोटिस संप्रदर्शित करेगा जो विहित किए जाएं।

(6) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों के किसी उल्लंघन के मामले में, स्थापन का नियोजक, दोपसिद्धि पर, प्रत्येक दिन के लिए, जिसका उल्लंघन होता है या जारी रहता है, [1]{दो सौ रुपये} से अनधिक जुर्माने से दण्डनीय होगा।

(7) यदि कोई व्यक्ति, प्रवंचना करने के आशय से, यथा पूर्वोक्त किसी ऐसे अभिलेख, रजिस्टर या पूर्वोक्त नोटिस में कोई प्रविष्टि, जो उसकी जानकारी में किसी तात्विक विशिष्टि में मिथ्या है, करता है, या कारित करता है अथवा करने देता है, या ऐसे किसी अभिलेख, रजिस्टर या नोटिस से उसमें की जाने के लिए अपेक्षित प्रविष्टि का जानबूझ कर लोप करता है, या लोप किया जाना कारित करता है अथवा लोप करने देता है, तो वह, दोषसिद्धि पर, तीन मास से अनधिक अवधि के कारावास या जुर्माने के लिए जो [2]{चार हजार रुपये से कम नहीं होगा, किन्तु जो छह हजार रुपये तक का हो सकेगा,} या दोनों से, दण्डनीय होगा।

21. **रजिस्टरों का निरीक्षण और जानकारी के लिए मांगना.**– (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रखे जाने वाले सभी लेखों या अन्य अभिलेखों को, ऐसे अधिकारी को, जो विहित किया जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध करवाना और जैसी अपेक्षित हो, ऐसे अधिकारी को उससे सम्बद्ध ऐसी कोई अन्य जानकारी देना, स्थापन के प्रत्येक नियोजक का कर्तव्य होगा।

(2) जो कोई भी उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, या इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग में जानबूझ कर निरीक्षक प्राधिकारी को बाधा पहुंचाता है या किसी कर्मचारी को प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होने से या उस द्वारा परीक्षा करने से छिपाता है या निवारित करता है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से जो [3]{चार हजार रुपये से कम नहीं होगा और सात हजार रुपये तक का हो सकेगा,} दण्डनीय होगा।

———————

1. 2004 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा शब्द "पांच रूपये" के स्थान पर "पचास रूपये" प्रतिस्थापित किए गए और दुसरी बार 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 द्वारा शब्द "पचास रूपये" के स्थान पर "दो सौ रूपये" प्रतिस्थापित किए गए।
2. 2004 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा क्रमशः शब्द "पचीस रूपये" के स्थान पर "पांच सौ रूपये" प्रतिस्थापित किए गए और शब्द "दो सौ रूपये" के स्थान पर "दो हजार रूपये" क्रमशः प्रतिस्थापित किए गए और दुसरी बार 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 द्वारा शब्द "पांच सौ रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रूपये तक हो सकेगा" शब्दों के स्थान पर "चार हजार रूपये के कम नहीं होगा, किन्तु जो छह हजार रूपये तक हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए गए।
3. 2004 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा शब्द "पच्चीस रूपये" के स्थान पर "पांच सौ रूपये" और शब्द "दो सौ रूपये" के स्थान पर "दो हजार रूपये" प्रतिस्थापित किए गए और दुसरी बार 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 द्वारा शब्द "पांच सौ रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो दो हजार रूपये तक हो सकेगा" के स्थान पर "चार हजार रूपये से कम नहीं होगा किन्तु जो छह हजार रूपये तक हो सकेगा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

22. **हटाए जाने का नोटिस.**– (1) किसी कर्मचारी को सेवा से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक कि उसे एक मास का पूर्व नोटिस या उसके बदले में मजदूरी न दी गई हो:

परन्तु–

(क) कोई कर्मचारी ऐसे नोटिस या उसके बदले में मजदूरी का हकदार नहीं होगा यदि उसे, उसके विरुद्ध आरोप या आरोपों का लिखित रूप में स्पष्टीकरण देने के अवसर के पश्चात् अवचार के कारण हटाया जाता है।

(ख) कोई कर्मचारी एक मास के नोटिस या उसके बदले में मजदूरी का तब तक हकदार नहीं होगा, जब तक कि वह नियोजक की सेवा में लगातार तीन मास की अवधि के लिए न रहा हो।

(2) उप–धारा (1) के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए संस्थित किसी बाद के मामले में, यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि कर्मचारी को, युक्तियुक्त हेतुक के बिना हटाया गया है, तो मैजिस्ट्रेट, कारणों को अभिलिखित करके, कर्मचारी को दो मास की मजदूरी के समतुल्य प्रतिकर अधिनिर्णीत करेगा:

परन्तु ऐसा दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा, यदि इसे कर्मचारी द्वारा उसके हटाए जाने की तारीख से छः मास के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

(3) इस धारा के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेय रकम, धारा 25 के अधीन संदेय जुर्माने के अतिरिक्त, और उसी की तरह वसूलीय होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जिसे इस धारा के अधीन प्रतिकर अधिनिर्णीत किया गया है, उसी दावे के बारे में सिविल वाद संस्थित करने का हकदार नहीं होगा।

23. **कर्मचारी द्वारा नोटिस.**– (1) कोई कर्मचारी जो लगातार तीन मास की अवधि के लिए नियोजक की सेवा में रहा हो, अपना नियोजन समाप्त नहीं करेगा, जब तक कि उसने अपने नियोजक को दस दिन का पूवर्तन नोटिस या उसके बदले में मजदूरी न दी हो।

(2) जहां कोई कर्मचारी उप–धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, वहां उसका नियोजक उसकी दस दिन से अनधिक अवधि की असंदत्त मजदूरी समपहृत कर सकेगा।

24. **स्थापन से अन्यत्र व्यापार करने के लिए उपबन्ध.**– तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी परिक्षेत्र के किसी स्थान में जो स्थापन नहीं है किसी समय फूटकर व्यापार या किसी वर्ग का कारबार करना विधिपूर्ण नहीं होगा, यदि उस परिक्षेत्र में ऐसे फुटकर व्यापार या कारबार के प्रयोजन के लिए स्थापन खुला रखना विधि विरुद्ध है और यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उल्लंघन में कोई व्यापार या कारबार करता है, तो यह अधिनियम ऐसे लागू होगा मानों कि वह ऐसे स्थापन का जिसे इस अधिनियम के उल्लंघन में खुला रखा गया था, नियोजक हो।

[1]{25. **शास्तियां.**— इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो कोई भी इस अधिनियम के या तद्धीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है और इस अधिनियम में ऐसे उल्लंघन के लिए कोई शास्ति उपबंध नहीं किया गया है, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो प्रथम अपराध के लिए एक हजार रूपए से कम नहीं होगा, किन्तु जो पाँच हजार रूपए तक का हो सकेगा और प्रत्येक पश्चात्वर्ती अपराध के लिए तीन हजार रुपए से कम नहीं होगा किन्तु जो आठ हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।}

[2]{**धारा 25—क का अन्तःस्थापन.**—[3]{(1) धारा 20 की उपधारा (7) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, किसी भी अपराध का, या तो अभियोजन संस्थित किए जाने से पूर्व या पश्चात्, सरकार की अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा, जो दुकान और वाणिज्यिक स्थापन के सहायक मुख्य निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसी रकम के लिए, जो एक हजार रूपए से कम नहीं होगी, परन्तु पाँच हजार रूपए से अधिक नहीं होगी, शमन किया जा सकेगा।}

(2) जहां किसी अपराध का उप—धारा (1) के अधीन शमन कर दिया गया है तो अपराधी को, यदि अभिरक्षा में हो, छोड़ दिया जाएगा और उसके विरूद्व ऐसे अपराध के लिए कोई अन्य कार्यवाहियां नहीं की जा सकेंगीः

परन्तु यदि कोई व्यक्ति प्रथम अपराध के शमन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनः वैसा ही अपराध करता है तो उसका शमन नहीं किया जाएगा।}

26. **वैयक्तिक दायित्व से अधिकारियों और उनके एजेण्टों का संरक्षण.**— इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी भी सेवक या ऐसे लोक सेवक के निदेश के अधीन कार्य करते हुए, केन्द्रीय या राज्य सरकार अथवा हिमाचल प्रदेश सरकार की सेवा में कार्यरत, किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्व कोई बाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

27. **छूट देने की शक्ति.**— सरकार, यदि यह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझे, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों के प्रवर्तन से किसी स्थापन या स्थापनों के वर्ग को किसी अवधि के लिए जिसे यह बांछनीय समझे, छूट दे सकेगी।

28. **बालकों के नियोजन का प्रतिषेध.**— किसी बालक को, जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, किसी स्थापन, में नियोजित नहीं किया जाएगा।

———————————————

1. 2004 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा धारा 25 का संशोधन किया गया और 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 द्वारा प्रतिस्थापित की गई।
2. 2004 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 15 द्वारा धारा 25—क अंतःस्थापित की गई।
3. 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 द्वारा धारा 25—क की उप—धारा (1) प्रतिस्थापित की गई।

29. **महिलाओं के नियोजन की शर्तें**.—(1) किसी भी महिला से चाहे कर्मचारी के रूप में या अन्यथा किसी स्थापन में रात के दौरान कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगीः

परन्तु इस उप–धारा की कोई भी बात ऐसे स्थापन को लागू नहीं होगी जो बीमार, शिथिलांग, निराश्रित या मानसिक रूप से अरोग्य के उपचार या देख–रेख में लगा हो।

(2) किसी स्थापन का नियोजक जानबूझकर किसी महिला को प्रसवावस्था या गर्भपात के अगले छः सप्ताह के दौरान नियोजित नहीं करेगा और न ही वह महिला किसी स्थापन में नियोजन में लगेगी।

(3) सरकार, किन्हीं स्थापनों या उनके किसी वर्ग के कारबार के बारे में नियोजित महिलाओं के नियोजन के सम्बन्ध में आगे और शर्तें जिनके अन्तर्गत, यदि यह उचित समझे, प्रतिदिन नायोजन अवधि, छुट्टी और अन्य मामलों की शर्तें भी हैं, विहित कर सकेगी और कोई भी महिला इन शर्त्तों के अनुसार से अन्यथा नियोजित नहीं की जाएगी।

30. **प्रसूति प्रसुविधा**.— (1) स्थापन में नियोजित प्रत्येक महिला, जो उस स्थापन में या उस स्थापन के नियोजक से सम्बन्धित स्थापनों में अपने प्रसव की तारीख से पूर्व लगातार छः मास से अन्य अवधि के लिए नियोजित रहीं हो, उसकी प्रसूति के ठीक पूर्ववती छः सप्ताहों के दौरान प्रत्येक दिन के लिए, और उसके प्रसूति का दिन के लिए तथा उसकी प्रसूति के आगामी छः सप्ताहों के प्रत्येक दिन के लिए, प्रसूति प्रसुविधा का संदाय, जो सरकार द्वारा विहित किया जाएगा प्राप्त करने की हकदार होगी और नियोजन उसका संदाय करने को दायी होगाः

परन्तु ऐसे किसी दिन के लिए ऐसा संदाय नहीं किया आएगा जिसको वह अपनी प्रसूति से पूर्ववर्ती छः सप्ताह के दौरान कार्य करती है और उसके लिए संदाय प्राप्त करती है।

(2) वह रीति जिसमें प्रसव प्रसुविधा संदेय होगी सरकार द्वारा विहित की जा सकेगी।

31. **कुछ कार्यवाहियों में विधि व्यवसायियों का वर्जन**.— विधि व्यवसायियों से संबंधी तत्समय प्रवृत्त विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी विधिक व्यवसायी को न्यायालय के समक्ष, इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के उल्लंघन में नियोजक और कर्मचारी के मध्य उत्पन्न होने वाली किन्हीं कार्यवाहियों में, नियोजक या कर्मचारी के लिए पेश होने, पैरवी करने या कार्य करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

32. **कुछ अधिकारों और विशेषाधिकारों की व्यावृत्ति**.— इस अधिनियम की कोई भी बात, किसी अधिकार या विशेषाधिकार को प्रभावित नहीं करेगी जिसके लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ होने की तारीख को किसी स्थापन में कोई कर्मचारी, ऐसे स्थापन को लागू किसी अन्य विधि, संविदा, रुढ़ि या प्रथा अथवा ऐसे स्थापन में नियोजक और कर्मचारी पर आबद्धकर किसी अधिनिर्णय, समझौते या करार के अधीन हकदार है, यदि ऐसा अधिकार या विशेषाधिकार उसके लिए उनकी अपेक्षा अधिक अनुकूल है जिन के लिए वह इस अधिनियम के अधीन हकदार होगा।

33. **अपराध का संज्ञान.**— कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान, सम्बद्ध कर्मचारी [1]{या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा, जो सहायक मुख्य निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो} अथवा उस क्षेत्र के जिसमें स्थापन स्थित हो, अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक द्वारा शिकायत करने के सिवाय, नहीं करेगा।

34. **नियम बनाने की शक्ति.**— (1) सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) वह रीति और प्ररुप जिसमें रजिस्टर और नोटिस रखे जाएंगे;

(ख) वे अधिकारी जो रजिस्टरों का निरीक्षण करने और इस अधिनियम द्वारा यथा अपेक्षित जानकारी मांगने के लिए सशक्त किए जा सकेंगे;

(ग) एजेन्सी जिस द्वारा और रीति जिसमें इस अधिनियम के अधीन अभियोजन संस्थित किए जाएंगे;

(घ) धारा 13 की उप—धारा (1) के अधीन कथन का प्ररूप, ऐसे कथन में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां, उस धारा की उप—धारा (2) के अधीन किए जाने वाले रजिस्ट्रीकरण की रीति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण—पत्र का प्ररूप, उस धारा की उप—धारा (4) के अधीन परिवर्तन अधिसूचित करने के लिए प्ररुप और उसके ऐसे रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण के लिए संदेय फीसें;

(ङ) प्राधिकारी और रीति जिसमें इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित कोई नोटिस दिया जाएगा;

(च) शर्तें जिनके अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन कोई छूट दी जा सकेगी।

(छ) रीति जिसमें स्थापन का नियोजक परिसर में बन्द दिवस, बन्द होने और खुलने के समय और अन्य विहित विशिष्टियों को उपवर्णित करते हुए नोटिसों को प्रदर्शित रखेगा;

(ज) डयूटी करते हुए कर्मचारियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करने; और

(झ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम, पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन होंगे।

---

1. 2012 का हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 27 द्वारा "मुख्य निरीक्षक द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "किसी अधिकारी द्वारा जो सहायक मुख्य निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो" शब्द और चिन्ह प्रतिस्थापित किए गए।

(4) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एकः सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए तो तत्पश्चात् यह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व विधान सभा सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होते से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

35. निरसन और व्यावृत्ति.– पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) को धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए नये क्षेत्रों में यथा प्रवृत्त दि पंजाब ट्रेड इंपलायीज ऐक्ट, 1940 (1940 का पंजाब ऐक्ट 10) (भारत सरकार द्वारा पूर्व राज्य मंत्रालय अधिसूचना सं0 11–जे, तारीख 18–1–1951 द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ राज्य के क्षेत्र में यथा विस्तारित) और दि पंजाब शापस एण्ड कमर्शियल इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1958 (1958 का पंजाब ऐक्ट, 15) का एतद्वारा निरसन किया जाता हैः

परन्तु–

(क) उक्त अधिनियमों के किन्हीं उपबन्धों के अधीन की गई, जारी किया गया या दी गई प्रत्येक नियुक्ति, आदेश, नियम, उप–विधि, विनियम, अधिसूचना या नोटिस, जहां तक यह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया गया, जारी किया गया या दिया गया समझा जाएगा, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन किए गए, जारी किए गए या दी गई किसी नियुक्ति, आदेश, नियम, उप–विधि, विनियम, अधिसूचना या नोटिस द्वारा अधिक्रान्त न किया जाए;

(ख) उक्त अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के विचारण से सम्बन्धित किसी कार्यवाही को जारी रखा जाएगा और पूरी की जाएगी मानों कि वह अधिनियम निरसित नहीं किया गया हो, किन्तु प्रवर्तन में बना रहा हो, और ऐसी कार्यवाही में अधिरोपित कोई शास्ति, उस अधिनियम के अधीन वसूल की जाएगी।